न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 02/25 (विविध)

कैलाशी बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री लीलाराम मीना द्वारा वास्ते पत्थगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.02.2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)**	
	13-2-2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित किया जावे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में दिनांक 08-3-2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)**	
	08-3-2025 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। पक्षकारान की सहमति एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)**	नि. अंगूठा कैलाशीदेवी
	10.5.25 प्रार्थिया की ओर से प्रा.पत्र बाबत रकबा संशोधन पेश होने पर पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थिया का प्रा.पत्र बाबत रकबा संशोधन निर्णय दिनांक 8.3.25 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत संशोधित निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज कैलाशी बनाम तहसीलदार मु.नं.– 02/25 किस्म – प्र.पत्र पत्थरगढ़ी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/25	17.01.25	08.03.2025

बउनवान

1. कैलाशी पत्नी हरसी मीना जाति मीना निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, कार्यालय तहसील बैजूपाडा जिला दौसा, (राज.)।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : 1.अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना
2.अप्रार्थी– तहसीलदार बैजूपाडा

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी भूमि ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खाता सं. 44 पुराना 42 के खसरा नं. 1139 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1140 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 1146 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 1149/1126 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. लगानी 1 रूपये 52 पैसे वाकै रामा निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। जो प्रार्थिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की ममलूका मकबूजा भूमि है। जिस पर प्रार्थीया अर्से दराज बजमान बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया के पडौसी काश्ताकारान जो कि प्रार्थिया की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिया की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते है। जो कि आये दिन खेतों के मध्य बनी हुयी डोल/मेड को तोडते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते है। आये दिन आदमी मरने की सूरत पैदा हो जाती है। संगीन वारदान पैदा होने की सम्भावना पैदा हो जाती है। प्रार्थिया पडौसी काश्तकारान से मुकाबिला करन में असमर्थ है। इसलिये प्रार्थी नं० एक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20/04/2024 को अप्रार्थी नम्बर एक के यहा प्रार्थना पत्र पेश कर किया जिसकी पालना दिनांक 06/05/2024 को हल्का पटवारी के द्वारा भूमि खसरा नं. 1139 रकबा 0.02 हैक्टे.,खसरा नं. 1140 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 1146 रकबा 0.05 हैक्टे., 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0. 76 हैक्टे. वाकै रामा निहालपुरा तहसील बैजूपाडा के मौके पर पहुंचे । उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व नक्शे से मिलन किया व आराजी खसरा नं. 1139 रकबा 0. 02 हैक्टे. खसरा नं. 1140

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 1146 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नं. 1149/1126 रकबा 0.05 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. का तिमडा को मुश्तकिल बिन्दु मानकर उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान करवा लिया था। लेकिन फिर भी पडौसी काश्तकारान प्रार्थीया को आये दिन हैरान व परेशान करते है। लडाई झगडा करते है। एवं प्रार्थिया के खातेदारी की स्वामित्व की भूमि में जबरन घुसकर ढौंकरे आदि डालकर हैरान परेशान करते है एवम लडाई झगडा मारपीट करने पर भी आमादा हो जाते है जिन्होनें प्रार्थना पत्र के प्रार्थीया कैलाशी पत्नि हरसी मीना के साथ मारपीट भी कर डाली। जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। जिनके खिलाफ पुलिस थाना बैजूपाडा द्वारा चालान भी पेश किया जा चुका है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया को उक्त भूमि की जब तक पत्थरगढी व तारबन्दी अप्रार्थी नम्बर एक के द्वारा नही की गयी। तब तक पडौसी खातेदारान प्रार्थीया को पडोसी खातेदारान हैरान व पेरशान, वलडाई झगडा करते रहेगें। ऐसी सूरत में प्रार्थी को खसरा नं. 1139 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं 1140 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नं 1146 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. वाकै रामा निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की पत्थरगढी व तारबन्दी का आदेश प्रार्थी को न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थिया पडौसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक. 06/05/2024 के आधार पर पत्थरगढी व तारबन्दी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान कराना चाहते है ताकि आये दिने होने वाले झगड़ों से मक्ति मिल सके। दिनांक 30/12/2024 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या एक के यहाँ अपनी भूमि की पत्थरगढी व तारबन्दी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब आपकी भूमि को पत्थर गढी व तारबन्दी करेगें इसलिये प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 1139 रकबा 0. 02 हैक्टे., 1140 रकबा 0.14 हैक्टे., 1146 रकबा 0.05 हैक्टे., 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. वाकै रामा निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक. 06/05/2024 के अनुसार मौके पर निशानात काय कर मौके पर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के लिये अप्रार्थी सं. एक को आदेशित फरमाया जावे मय पर्याप्त पुलिस इमदाद की सहायत के आदेश जारी किय जावे।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 1139 रकबा 0. 02 हैक्टे., खसरा नं 1140 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं 1146 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. प्रार्थिया दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का दिनांक 06.05.24 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थिया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किये जाते है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थिया एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा नं. 1139 रकबा 0. 02 हैक्टे., खसरा नं. 1140 रकबा 0.14 हैक्टे., खसरा नं. 1146 रकबा 0. 05 हैक्टे., खसरा नं. 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख संशोधित निर्णय
02/25	17.01.25	10.05.2025

बउनवान

1. कैलाशी पत्नी हरसी मीना जाति मीना निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, कार्यालय तहसील बैजूपाडा जिला दौसा, (राज.)।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : 1.अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना
2.अप्रार्थी– तहसीलदार बैजूपाडा

**प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956**

संशोधित निर्णय

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2025 में प्रकरण के खसरा नम्बर 1149/1126 रकबा 0.55 हैक्टेयर त्रुटिवश रकबा 0.055 हैक्टयर हो गया है जिसे शुद्ध करके रकबा 0.55 हैक्टयर करने एवं शेष आदेश को यथावत रखने की कृपा करें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र , पत्रावली का तथा निर्णय दिनांक 08.03.2025 एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 1149/1126 रकबा 0.55 हैक्टे. प्रार्थिया दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी दिनांक 03.01.2025 को प्रस्तुत किया जिसमें खसरा नम्बर 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टे. है। राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2025 के आदेश में पंक्ति संख्या 05 में भी खसरा नम्बर 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टेयर है। जबकि सही रकबा 0.55 हैक्टेयर है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बावत् रकवा शुद्धि स्वीकार किया जाना उचित है।

10.5.25

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा
प्रा. पत्र संख्या 02/25
कैलाशी बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक 08.03.25
संशोधित निर्णय दिनांक 10.05.2025

आदेश

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत् रकबा शुद्धि स्वीकार किया । प्रकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2025 के आदेश में पंक्ति संख्या 05 में खसरा नम्बर 1149/1126 रकबा 0.055 हैक्टेयर को सही किया जाकर खसरा नम्बर 1149/1126 रकबा 0.55 हैक्टेयर पढा जावे एवं आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

संशोधित निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

10.5.25
न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा